न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 37/2022

1 महावीर सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपुत निवासी लीला की ढ़ाणी तन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भरतसिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपुत निवासी लीला की ढ़ाणीतन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 उप पंजियक गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 208/2021 उनवानी
भरतसिंह बनाम महावीर वगैरह एक पक्षीय अन्तरिम
अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.08.2021।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—25-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 208/2021 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध अदालत मातहत के यहां आराजी हाल खसरा नम्बर 170 रकबा 1.10 हैक्टर सरहद मौजा हुकमपुरा के बाबत एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अदालत मातहत ने दिनांक 19.08.2021 को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी किया। उक्त एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। विचाराधीन अंतरिम आदेश आगामी तिथि तक जारी किया गया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब होने के पश्चात स्थगन आगे नहीं बढ़ाया गया है। अतः अपील स्वीकार कर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में डीएनजे 2014 (1)राज. पेज 35 एवं आरआरडी 2000 पेज 441 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
एदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि विचाराधीन अंतरिम स्थगन आदेश 19.08.2021 के पश्चात आगे नहीं बढाये जाने से निष्प्रभावी हो चुका है। किन्तु अंतरिम आदेश की अपील नहीं होकर निगरानी होती है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि विचाराधीन अंतरिम स्थगन आदेश 19.08.2021 के पश्चात आगे नहीं बढाये जाने से निष्प्रभावी हो चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 212 का अंतिम निर्णय उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। अतः प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए धारा 212 के संदर्भ में विचारण न्यायालय के अंतिम निर्णय तक उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाकर आगामी 2 माह में उनके समक्ष लंबित आवेदन धारा 212 का अंतिम निस्तारण किये जाने के निर्देश दिए जाते है तब तक उभयपक्ष विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर